



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनूं में हैड कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 24 जून / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज गुरुवार को झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मलसीसर, झुंझुनूं को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरण में आरोपियों का चालान करने तथा उसके भाई के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. देने की एवज में महेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मलसीसर, झुंझुनूं द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचंद एवं उनकी टीम द्वारा झुंझुनूं में ट्रेप कार्यवाही करते हुये महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामनिवास निवासी गांव कोलसिया, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनूं हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना मलसीसर, झुंझुनूं को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी की दूकान से क्रय किये गये ब्लूटूथ के 2 हजार रुपये को भी रिश्वत के रूप में ही समायोजित कर लिया था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।